

सं० 21012/01/2008 – स्था. (भत्ता)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली दिनांक:

27.12.2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय : जोखिम भत्ता का 31.12.2011 तक विस्तार।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के का.ज्ञा. सं. 21012/01/2008 – स्था. (भत्ता) दिनांक 19.07.2011 का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जिसके द्वारा जोखिम भत्ता के भुगतान की अवधि 31.12.2011 तक बढ़ा दी गई थी। 31.12.2011 से आगे और छह माह के लिए जोखिम भत्ता बढ़ाने पर विचार किया गया है तथा यह निर्णय लिया गया है कि जोखिम भत्ते की आगे छह माह के लिए 30.06.2012 तक या जब तक जोखिम बीमा स्कीम का कार्यान्वयन होता है, जो पहले हो वर्तमान दरों पर बढ़ा दिया जाए।

(जोया सी.बी.)

(जोया सी.बी.)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग

सं० 21012/01/2008 – स्था. (भत्ता) दिनांक 27.12.2011

1. भारतीय महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक का कार्यालय/महालेखा नियंत्रक वित्त मंत्रालय।
2. सचिव, यूपीएससी/सर्वोच्च न्यायालय/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रीमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/ राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग/केन्द्रीय सूचना आयोग।
3. सभी राज्य सरकारें एवं संघ शासित क्षेत्र।
4. सभी राज्यों के राज्यपाल/संघ शासित क्षेत्रों के ले. राज्यपाल।
5. सचिव, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष), 13-सी फिरोजशाह रोड नई दिल्ली।
6. जेसीएम के एनसी/विभागीय परिषद के सभी सदस्य।
7. कार्मिक और प्रशिक्षण विभागक/एआरपीजी/पी एवं पी डब्ल्यू विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग।
8. वित्त मंत्रालय न्याय विभाग {स्था. 11 (बी) शाखा}।
9. राजभाषा संघ (विद्यार्थी विभाग) भगवान दास रोड, नई दिल्ली
10. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली
11. एन.आई.सी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाईट www.persmin.nic.in (भत्ता पर अपलोड करने के लिए)।
12. 10 अतिरिक्त प्रतियां।

(जोया सी.बी.)

(जोया सी.बी.)

अवर सचिव, भारत सरकार